

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक मान्यता/5024-25 /2021-22

दिनांक 16/3/2022

प्रबन्धक,

दीप मैमोरियल पब्लिक स्कूल

रामप्रस्थ गाजियाबाद।

कृपया आप अपने पत्र दिनांक 04-03-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपने अपने विद्यालय को प्रदान की गई अस्थायी मान्यता को स्थायी करने का अनुरोध किया गया है। आपके स्तर से उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार आपके विद्यालय को इस कार्यालय द्वारा कक्षा-01 से कक्षा-05 तक (हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम) की मान्यता कार्यालय के पत्रांक/शि0स0/8124-25/2020-21 दिनांक 24-02-2021 द्वारा प्रदान की गई थी।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति दिनांक 11-03-2022 के आधार पर शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041 दिनांक 11-01-2019 एवं शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून 2020 द्वारा किये गये संशोधन आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्तें पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण विद्यालय को दी गई अस्थायी मान्यता स्थायी की जाती है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ब्रजभूषण चौधरी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0स0 मान्यता/

/2021-22 तददिनांक

प्रतिलिपि- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक मान्यता/ 5022-23 /2021-22

दिनांक 16/3/2022

प्रबन्धक,

दीप मैमोरियल पब्लिक स्कूल

रामप्रस्थ गाजियाबाद।

कृपया आप अपने पत्र दिनांक 04-03-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपने अपने विद्यालय को प्रदान की गई अस्थायी मान्यता को स्थायी करने का अनुरोध किया गया है। आपके स्तर से उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार आपके विद्यालय को इस कार्यालय द्वारा कक्षा-06 से कक्षा-08 तक (हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम) की मान्यता कार्यालय के पत्रांक/शि0स0/मान्यता/8886-88/2020-21 दिनांक 31-03-2021 द्वारा प्रदान की गई थी।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति दिनांक 11-03-2022 के आधार पर शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041 दिनांक 11-01-2019 एवं शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून 2020 द्वारा किये गये संशोधन आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्तें पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण विद्यालय को दी गई अस्थायी मान्यता स्थायी की जाती है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ब्रजभूषण चौधरी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गाजियाबाद।

पृ0स0 मान्यता/

/2021-22 तददिनांक

प्रतिलिपि- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गाजियाबाद।